भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2151

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

केरल में घरेलू पर्यटकों का आगमन

†2151. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस सत्र सहित हाल के वर्षों में केरल में घरेलू पर्यटकों के आगमन में कमी आई है;

(ख) क्या घरेलू पर्यटक अवकाश यात्रा भत्ता का लाभ उठाकर केरल की अपेक्षा विदेश यात्रा करना पसंद करते हैं;

(ग) क्या श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिण पूर्व एशियाई और यूरोपीय देशों में पर्यटन कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश कर रही थीं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केरल में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): 2022-2024 (मार्च तक) के दौरान केरल में घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख में)

माह	**2022**	**2023(अ.)**	**2024(अ.)**
जनवरी	12.34	18.29	18.29
फ़रवरी	11.62	15.71	16.11
मार्च	13.99	15.37	15.98
अप्रैल	16.11	19.28	-
मई	19.11	21.74	-
जून	15.79	16.46	-

जुलाई	14.32	16.69	-
अगस्त	14.81	18.95	-
सितंबर	15.72	17.22	-
अक्टूबर	17.39	17.96	-
नवंबर	16.83	18.74	-
दिसंबर	20.65	22.33	-
कुल	188.67	218.72	50.37

स्रोत: राज्य पर्यटन विभाग

अ: अनंतिम

पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों द्वारा विदेश यात्रा को प्राथमिकता दिए जाने अथवा अन्य देशों द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के संबंध में आंकड़े तैयार नहीं करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने केरल राज्य सहित देश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं/पहलें की हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों और उत्सवों तथा पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों जैसे सेमिनारों, कॉन्क्लेव, सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में सरगालय अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प महोत्सव आयोजित करने के लिए केरल को 25.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
ii. पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन' (प्रशाद) और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत पर्यटकों को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान करने तथा पर्यटन से संबंधित अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा भी दे रहा है।
iii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है। एसडी 2.0 के अंतर्गत, केरल राज्य में विकास के लिए कुमारकोम और कोझीकोड (बेपोर) गंतव्यों को चिह्नित किया गया है।

iv. विदेशी पर्यटकों सहित देश में विदेशियों के वैध आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने वैध विदेशी यात्रियों की सहायता करने के लिए वीजा व्यवस्था को उदार, सुव्यवस्थित और सरल बनाने हेतु पिछले कुछ वर्षों में कई पहलें की हैं। 167 देशों के नागरिकों के लिए 07 उप-श्रेणियों अर्थात ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-आयुष अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा के तहत ई-वीजा की सुविधा प्रदान की गई है।

v. बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत बिक्री दौरों, विदेशी बाजारों में मेलों/प्रदर्शनियों और रोड शोज़ में भागीदारी तथा कंटेंट क्रिएशन/डिजिटल संवर्धनात्मक ब्रोशर/लीफलेट आदि तैयार करने, विदेशी बाजारों में पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के ऑनलाइन संवर्धन सहित संवर्धनात्मक पर्यटन कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (यूटी) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****